1.In the court of Abhishek K. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 530/2026, dt. 18.03.2026, Radheshyam Mahato vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>जमानत आवेदन संख्या–530/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. राधेश्याम महतो वल्द रामप्रसाद महतो उम्र करीब 21 वर्ष
ग्राम– बसतपुर, थाना–कलेया, जिला–बारा(नेपाल)......................................आवेदक ।

बनाम

बिहार सरकार ....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री रजनीकांत प्रसाद ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

18.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम महतो की ओर से रक्सौल थाना कांड संख्या–483/2025, धारा– 303(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 16.01.2026 से कारा में है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक जोगेन्द्र महतो का कथन है कि दिनांक 19.11.2025 को 02.30 बजे शाम को उसके घर जो कि आश्रम रोड रक्सौल वार्ड नं0–10 सेवक संजय नाथ विद्यालय के पास है उसके गेट के सामने से कोई अज्ञात व्यक्ति उसका मोटरसाईकिल निबंधन संख्या– बी.आर–05ए.आर–7949 को चोरी कर ले गया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2 में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध नकरदेई थाना कांड संख्या– 152/2025 दर्ज है। इसके सिवाय अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 16.01.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में

कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे गंदी ग्रामीण राजनीति एवं पुलिस अत्याचार के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक घटनास्थल पर गिरफ्तार नहीं हुआ है, न ही उसके पास से कोई अपराधारोपक सामग्री बरामद हुआ है। जप्त मोटरसाईकिल से आवेदक का कोई संबंध नहीं है। धारा– 303(2) बी.एन.एस. का आरोप आवेदक के विरूद्ध नहीं बनता है। आवेदक का नाम नकरदेई थाना कांड संख्या– 152/2025 से इस मामले में नामित किया गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है । प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका– 23 के अनुसार आवेदक को चोरी के मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए नकरदेई थाना कांड संख्या– 152/2025 दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका–28 में आवेदक का आपराधिक इतिहास दर्ज है, जिसमें आवेदक के विरूद्ध नकरदेई थाना कांड संख्या– 152/2025 दर्ज है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित धारा में सात साल से कम का सजा का प्रावधान है। आवेदक दिनांक 16.01.2026 से कारा में निरूद्ध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम महतो की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक विचारण में सहयोग करेगा।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 18.03.2026